

**डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)**

पत्रांक संख्या: लो०अ०वि०/शैक्ष०/2021/3027

दिनांक: 14.07.2021

सेवा में,

कु०/श्री/श्रीमती/सुनील सिंह

पुत्र/पुत्री/पति श्री भीम सिंह

पता

विषय : पी-एच०डी० पाठ्यक्रम में पंजीकरण के सम्बन्ध में।

वाणिज्य विषय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुतियों को कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

सम्भावित शोध शीर्षक: An analytical study of customers satisfaction in on line marketing in Uttar Pradesh (special reference to Lucknow District).

शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० विनोद प्रताप सिंह, एल०बी०एस०पी०जी० गोण्डा।

शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०)/विषय संयोजक की संस्तुति: स्वीकृत।

अन्य टिप्पणी:

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नानंकित क्रम संख्या1..... का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू० 3,000/- पत्र निर्गतीकरण की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. यदि नामांकन संख्या की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र (नोटरी) दिया गया है, तो पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन संख्या प्राप्त कर शैक्षणिक विभाग को उपलब्ध करायें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से पत्र निर्गतीकरण की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि 36 माह (3 वर्ष) एवं सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम अवधि 72 माह (6 वर्ष) होगी, जिसमें पाठ्यक्रम कार्य (कोर्स वर्क) की 6 माह की अवधि भी सम्मिलित रहेगी। शोध प्रबन्ध जमा किये जाने हेतु निर्धारित अवधि का आगमन शोध पंजीकरण तिथि (पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि) से किया जायेगा।
5. शोधार्थी/शोधार्थिनी को प्रत्येक छमाही के उपरान्त शोध निर्देशक द्वारा अग्रसारित विस्तृत शोध प्रगति आख्या रू० 5000/- सेमेस्टर शुल्क के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।
6. आपका शोध पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम, 2016 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पी-एच०डी० अध्यादेश, 2016 के अनुसार होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: शोध निर्देशक: डॉ०/प्र० विनोद प्रताप सिंह, एल०बी०एस०पी०जी० गोण्डा को सूचनार्थ।

उप-कुलसचिव